महत्वपूर्ण एवं खास

पंचायत सचिव गणेशराम निलंबित

रायगढ़। सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल द्वारा जनपद पंचायत खरसिया ग्राम पंचायत घघरा के पंचायत सचिव गणेशराम मरार को अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पंचायत सचिव गणेशराम मरार को कार्यालय जनपद पंचायत खरसिया में अटैच किया गया है।

छत्तीसगढ़ के दस पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे

रायपुर (आरएनएस)। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश में 189 सुरक्षा अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस में अपनी सेवायें दे रहे जाबांजों को राष्ट्रपति गेलेन्टरी अवार्ड से सम्मानित करेंगे। छत्तीसगढ़ से 10 पुलिस अधिकारियों का भी इस हेतु चयन किया गया है, जिसमें एक आईपीएस कामलोचन कश्यप, एक उप पुलिस अधीक्षक सुरेश लकरा, चार इंस्पेक्टर रामेश्वर देशमुख, जितेन्द्र कुमार साहू, अजय कुमार सिन्हा, शीलादित्य सिंह, एक एस आई संजय पोटाम, दो एएस आई सानु हेमला और निरंजन तिग्गा सहित प्लाटून कमांडर जय वीरेश यादव राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किये जायेंगे।

नक्सल अभियान में उत्कृष्ट कार्य के बाद भी नहीं मिली पदोन्नति, पुलिस महानिदेशक को नोटिस

रायपुर/बिलासपुर (आरएनएस)। याचिकाकर्ता हरि राम मांडवी वर्तमान में थाना इरागांव, जिला कोंडागांव में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसने जून 2021 को ग्राम चेरबेडा तथा ग्राम भंडारपाल के सरहदी गांव हुवल थाना धनोरा जिला कोंडागांव में हुए नक्सल विरोधी अभियान में हिस्सा लिया था। इसमें दो नक्सली मारे गए थे। इस घटना में लगभग 39 पुलिस फोर्स के जवान थे। इसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के भी कुछ जवान थे। उनको आउट ऑफटर्न प्रमोशन दिए जाने का प्रावधान पुलिस रेगुलेशन में है। उस फोर्स के कुछ जवानों को आउट ऑफटर्न प्रमोशन दिए जाने की प्रक्रिया की गई। याचिकाकर्ता भी उनमें से एक था, जिसने इस घटना के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया परंतु इसे आउट ऑफ्टर्न प्रमोशन से वंचित रखा गया। इन्हीं आधार पर हरिराम ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने डीजीपी, एसपी कोंडागांव, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड कोंडागांव, एवं अन्य को जवाब देने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली शपथ

रायपुर (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोरोना के सुरक्षात्मक उपायों (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना इत्यादि) के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने सुबह 11 बजे शपथ ली। मतदाताओं ने ली जाने वाली शपथ है-हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए ,निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें।

उठाईगिरी में शामिल नट गिरोह के दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

» आरोपियों ने एसबीआई और अपेक्स बैंक के बाहर उठाईगिरी को दिया था अंजाम

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले, एसडीओपी खरसिया निमिषा पांडेय के मार्गदर्शन पर सखरसिया पुलिस को खरसिया क्षेत्र में हुई दो उठाईगिरी के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। दिनांक 21.01.2022 के दोपहर खरसिया के अपेक्स बैंक से रूपये निकालकर कुछ दूर खरीददारी करने गये वृद्ध के मोटर सायकल की डिक्की से अज्ञात आरोपीगण 56 हजार रूपये चोरी कर फरार हो गये थे। खरसिया पुलिस अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में मौका वारदात के अलावा विभिन्न स्थानों के फुटेज निकाल कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में जुटी थी। इसी बीच संदेही आज दिनांक 25.01.2022 को पुनः उठाईगिरी/लूट को अंजाम देने की फिराक में खरसिया टाऊन में देखे गये, जिन्हें मुखबिर सूचना पर पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपीगण खरसिया के दो उठाईगिरी में तथा अपने दो अन्य साथियों के साथ इसी माह लैलूंगा स्टेट बैंक में ग्रिल तोड़कर रूपयों की चोरी करना एवं अक्टूबर 2021 को महासमुंद जिले के बसना थानाक्षेत्र में महिला से 2 लाख रूपये लूट की वारदात को अंजाम देना बताये हैं।

दिनांक 25.01.2022 के सुबह पेट्रोलिंग पर रवाना हुये खरसिया टीआई एस.आर. साहू को अपेक्स उठाईगिरी के संदेही युवकों को एसबीआई खरसिया बैंक के बाहर टाऊन में बाइक पर देखे जाने की सूचना मुखबिर द्वारा दी गई। थाना प्रभारी खरसिया द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी खरसिया को अवगत कराकर उनके निर्देशन पर बैंक के बाहर स्टाफ लगाकर उन्हें अलर्ट किया गया। पुलिस स्टाफ द्वारा एसबीआई खरसिया के आगे दोनों संदेही युवकों को हिरासत में लेकर चौकी खरसिया लाया गया। संदेहियों के हुलिये सुभाष चौक अम्बिका ज्वेलर्स के सामने घटित उठाईगिरी में वांछित आरोपियों से हू-बहू मिलान होने पर संदेहियों से पूछताछ में अपना नाम आकाश नटराज एवं सोनू नट दोनों निवासी पत्थलगांव का होना बताये, कड़ी पूछताछ पूछताछ आरोपी खरसिया के एसबीआई बैंक के बाहर एवं अम्बिका ज्वेलर्स के सामने खड़ी बाइक से रूपये चोरी में शामिल होना बताये।

आरोपीगण अपने मेमोरेंडम कथन पर बताये कि दोनों नवम्बर 2021 में एचीवर बाइक से उठाईगिरी करने खरसिया आये थे। दोनों खरसिया स्टेट बैंक के बाहर खड़े होकर आने-जाने वालों पर नजर रखे हुये थे। लूना लेकर रूपये निकालने आये व्यक्ति के लूना के चाबी लगाने वाले स्थान पर लकड़ी डाल दिये थे। जब व्यक्ति रूपये निकालकर बैंक से बाहर निकला और चाबी डालकर लूना स्टार्ट करने वाला था तो चोबी होल में नहीं जाने पर रूपयों से भरा थैला को लूना में टांगकर पेचकस लेने गया तो मौका देखकर थैला लेकर फरार हो गये जिसमें 20,000 रूपये, बैंक पासबुक, पर्ची, एटीएम मिला था त। दोनों 10-10 हजार रूपये बांट लिये और पासबुक, एटीएम, पर्ची, थैला को पत्थलगांव जाते समय ऐडु पुल के नदी में फेंक देना बताए।

आरोपीगण द्वारा 21 जनवरी 2022 को खरसिया अपेक्स बैंक से रूपये लेकर बाहर निकले वृद्ध व्यक्ति का पीछा कर अम्बिका ज्वेलर्स के सामने उनके मोटर सायकल का डिक्की को मौका देखकर तोड़कर 56,000 रूपये, पासबुक को लेकर बाइक से फरार हो जाना बताए और आरोपीगण 28000-28000 रूपये आपस में बांट लेना और पासबुक को ऐडु पुल के नदी में फेंक देना बताए। आरोपियों के मेमोरेंडम पर दोनों उठाईगिरी में प्राप्त 76,000 नकदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की बरामदगी कर जब्ती की गई है।

आरोपीगण से अन्य वारदातों के संबंध में कड़ी पूछताछ करने पर अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर महासमुंद जिले के बसना में महिला से 2,00,000 रुपए की लूट तथा 6 जनवरी की रात लैलूंगा स्टेट बैंक में ग्रिल तोड़कर रकम चोरी करना स्वीकार किए हैं। गिरफ्तार आरोपी (1) आकाश नटराज पिता रोशनलाल नटराज उम्र 27 वर्ष निवासी शिवपुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर (2) सोनू उर्फ नट उर्फ अर्जुन पिता शिव प्रसाद नट उम्र 29 साल निवासी झक्कडपुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर को एसबीआई खरसिया के बाहर उठाईगिरी के संबंध में दर्ज अप.क्र. 683/2021 धारा 379 आईपीसी एवं सुभाष चौक अम्बिका ज्वेलर्स के सामने हुये उठाईगिरी में दर्ज अप.क्र. 32/2022 धारा 379, 34 आईपीसी में रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये एसडीओपी खरसिया को विशेष टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दबिश देने निर्देशित किया गया है।

गणतंत्र दिवस पर राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

» गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से शहर की सीमाओं से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड परिसर सहित प्रमुख चौक-चौराहो पर हो रही वाहनों की चेकिंग

रायपुर (आरएनएस)। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को राजधानी रायपुर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चेकिंग बढ़ा दी गई है। शहर की सीमाओं से लेकर रेलवे स्टेशन परिसर, बस स्टैंड परिसर, बाजारों में स्थित पार्किंग स्थलों सहित विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसी प्रकार की घटना ना हो एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी पुलिस आज शाम को शहर में विशेष गश्त एवं चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन परिसर, बस स्टैंड परिसर, मॉल एवं अन्य व्यावसायिक स्थलो से लेकर शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, शहर की सीमाओ पर जगह-जगह पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है जो संदेह के आधार पर वाहनों की जांच कर रहे है।

ज्ञात हो कि गणतंत्र दिवस पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में राज्यपाल से लेकर कई वीवीआईपी एवं वीआईपी अतिथिगण भी पहुचेंगे, वहीं शहर में गणतंत्र दिवस पर शासकीय कार्योलयों, भवनों से लेकर अनेकों स्थानों पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम भी रखा गया है। ऐसी स्थिति में कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा आज शाम से ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए जगह-जगह चेकिंग किया जा रहा है।

शादी का झांसा देकर आबरू लूटकर फरार हुए आरोपी को भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह के दिशा निर्देशन पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा आज दिनांक 25.01.2022 को दुष्कर्म मामले के फरार आरोपी को मुखबिरों का जाल बिछाकर उसके गांव से पकड़ा गया है।

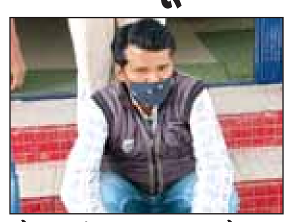

घटना के संबंध में दिनांक 28.10.2021 को प्रार्थिया/पीड़ित युवती थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 28.10.2021 को यह अपने स्कूटी से सहेली के साथ घरघोडा कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु जा रही थी कि सुबह करीब 11.00 बजे घरघोडा पॉवरग्रीड के पास आरोपी करन महंत निवासी छैडोरिया मिला जो प्रार्थिया का रास्ता रोककर बाइक में बैठ कहकर हाथ पकडकर बेइज्जत करने की नियत से खींचने लगा। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में आरोपी पर अप.क्र. 341/2021 धारा 341,354,354 (क) भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा पूर्व में शादी करने का झांसा देकर कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाना तथा शादी न कर बेइज्जती करने की धमकी देना बताई जिस पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 323,506,376 भा.द.वि. विस्तारित कर आरोपी करन महंत की पतासाजी की जा रही थी जो घटना दिनांक से थाने में रिपोर्ट होने की भनक लगने से फरार होकर लुकछिप रह रहा था।

महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन व दिशा-निर्देशानुसार थाना प्रभारी घरघोड़ा फरार आरोपी के गिरफ्तारी के लिये मुखबिरों का जालकर लगातार दबिश दी जा रही थी किन्तु आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर था। आज दिनांक 25.01.2022 को आरोपी के अपने घर ग्राम छैडोरिया आने की मुखबिर सूचना पर तत्काल पुलिस बल के साथ टीआई अमित सिंह दबिश दिये और आरोपी करन उर्फ किरण महंत पिता मनोहर दास महंत उम्र 32 वर्ष नि. छैडोरिया थाना घरघोड़ा को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

संपूर्ण कार्यवाही में निरी. अमित सिंह थाना प्रभारी घरघोड़ा, सउनि चंदनसिंह नेताम, आर. नंदु पैंकरा, नरेन्द्र पैंकरा, बीरबल भगत की विशेष भूमिका रही है।

दुष्कर्म के आरोपी को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार

» एफआईआर होने की जानकारी पर फरार हो गया था आरोपी

रायगढ़। महिला संबंधी अपराधों पर संवेदनशील एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन पर जिले के थाना, चौकी प्रभारीगण महिला संबंधी अपराधों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 25.01.2022 को कोतवाली पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को अपराध कायमी के महज 05 घंटे के भीतर बिलासपुर सिरगिट्टी में गिरफ्तार किया गया जिसे रायगढ़ लाकर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 24.01.2022 को युवती द्वारा थाना कोतवाली में राहुल कश्यप पिता परसराम कश्यप, निवासी-ग्राम हरदीबाजार जिला कोरबा हाल मुकाम श्याम बेकरी एंण्ड फुड सेक्टर 04 सिरगिट्टी बिलासपुर के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज करायी। युवती बताई कि इसके घर के पास राहुल कश्यप की नानी का घर है , जहां उसका आना जाना था। राहुल कश्यप जान पहचान बनाकर जून 2016 को प्रेम कहता हूं शादी करूंगा कहकर रायगढ़ के लॉज में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। राहुल कश्यप हर बार शादी करूंगा कहकर शादी की बात को टाल देता था। वर्ष 2019 में शादी का दबाव बनाने पर नोटरी के समक्ष शपथ पत्र लिखकर दिया और विवाह कर लिया हूं पत्नी हो कहकर निरंतर शारीरिक शोषण करने लगा। युवती जब अपने घरवालों को राहुल कश्यप से नोटरी के समक्ष शपथ पत्र लिखकर शादी कर लेना बताई तो युवती के घरवाले राहुल को बुलाकर पूछताछ किये तो राहुल नोटरी के समक्ष शादी की बात से साफ इंकार कर दिया और युवती को दोनों के आंतरिक संबंधों की जानकारी अन्य किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने लगा। युवती के आवेदन पर आरोपी राहुल कश्यप पर धारा 376,506 आईपीसी दर्ज किया गया।

अपराध दर्ज के तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन पर टीआई मनीष नागर द्वारा आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये एक टीम लेकर बिलासपुर रवाना हुये। बिलासपुर सिरगिट्टी में कोतवाली पुलिस की टीम आरोपी के घर के बाहर फेरीवालों के वेशभूषा में आरोपी पर निगाह रखे हुई थी जिसे उसके घर के बाहर धर दबोचा गया। आरोपी बिलासपुर से अन्य प्रांत फरार होने की फिराक में बिलासपुर रेल्वे स्टेशन जाने के लिये निकला था। आरोपी राहुल कश्यप (27 वर्ष) को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे गिरफ्तार कर आज दोपहर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, उप निरीक्षक मान कुंवर ?सिदार, आरक्षक सुरेश मिंज, हेम सागर पटेल की अहम भूमिका रही है।

तेंदुए की खाल के साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कांकेर (आएनएस)। कांकेर जिले में तेंदुए की खाल के साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लेंडारा गांव से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे तेंदुए की खाल जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार, तेंदुए की खाल की तस्कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लेंडारा गांव से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे तेंदुए की खाल जब्त किया है। आरोपियों ने तेंदुए का शिकार विश्रामपुरी क्षेत्र के जंगलों में किया था। अब वह खाल को बेचने के लिए किसी ग्रहक की तलाश कर रहे थे जिसकी खबर पुलिस को मिली जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किया गया तेंदुए की खाल की कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस मामले की की कार्रवाई कर रही है।

टमटोरा जंगल में घेराबंदी कर चोरों को पुलिस ने पकड़ा

» एक अपचारी बालक सहित पांच आरोपी गिरफ्तार, डेढ़ लाख कीमती वेल्डिंग मशीन बरामद

» वेल्डिंग मशीन की चोरी कर जंगल के रास्ते भाग रहे थे आरोपी

रायगढ़। दिनांक 24.01.2022 की रात्रि चौकी प्रभारी कनकबीरा उप निरीक्षक एमडी जायसवाल को ग्राम टमटोरा का नरेन्द्र पटेल पिता मिनिकेतन पटेल उम्र 33 वर्ष मोबाइल पर सूचना दिया कि इसके बाडी में रखे वेल्डिंग मशीन को 4-5 लोग चोरी कर ले जा रहे हैं। उस समय नरेन्द्र पटेल सराईपाली में थे। सूचना देकर अपने घर के लिये निकला। तत्काल चौकी प्रभारी एमडी जायसवाल भी अपने स्टाफ को लेकर टमटोरा रवाना हुये जहां नरेन्द्र पटेल के पडोसियों से पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी किये, वजनी वेल्डिंग मशीन को घसीटकर जंगल की ओर ले जाने के निशान पर चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ जंगल अंदर आरोपियों की पतासाजी किये, इस दौरान एक नाबालिग बालक मशीन को ले जाते हुए पकड़ा गया, उसके साथीगण भाग गये था जिससे पूछताछ करने पर अपने चार साथियों के साथ चोरी करना कबूल किया है। अपचारी विधि के साथ संघर्षरत बालक के अन्य चार साथी आरोपी 1. बाली बघेल पिता पुनीतराम 40 साल सा0 बानी गिरोला थाना सराईपाली 2. संतोष यादव पिता निरकर यादव 22 साल साकिन कलगीडीपा 3. त्रिनाथ सोनार पिता सुभाष सोनार 24 साल साकिन तेलीबांधा सुभाष नगर रायपुर 4. परसादु पनिका पिता परमानंद पनिका 32 साल साकिन कलगीडीपा को गिरफ्तार कर आरोपियों से अपहृत सम्पत्ति एक इलेक्ट्रो कम्पनी का वेल्डींग मशीन पुराना कीमती 1,50,000 रूपये का बरामदगी कर आरोपियों को चोरी के अपराध में सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया। आरोपियों को जारी जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है। कार्रवही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक एमडी जायसवाल, प्रधान आरक्षक रंजीत तिर्की, आरक्षक मुकेश साहू, गुलशन भास्कर की सराहनीय भूमिका रही है।

10 आरोपियों से सट्टा-पर्ची पर्ची के साथ नगदी जब्त

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले तथा सीएसपी योगेश पटले के मार्गदर्शन पर गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सुरक्षा के दृष्टिगत सभी थानाक्षेत्र में होटल, ढाबा, लॉज में चेकिंग कर संचालकों को थाना, चौकी प्रभारियों द्वारा आगंतुकों की पूरी जानकारी एवं पहचान पत्र लेने के बाद ही ठहरने की अनुमति देने तथा किसी प्रकार की भी शंका पर तत्काल पुलिस को सूचना देने कहा गया है। वहीं एसपी मीणा द्वारा नगर निरीक्षक मनीष नागर को समय-समय पर सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने का दिशा निर्देशन दिया गया जिसके पालन में आज टीआई नागर द्वारा थाने के विवेचकों की टीम बनाकर थानाक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मुखबिर लगाकर सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर कार्रवाही की गई है।

सघन अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस की रडार में आये 10 आरोपियों को सट्टा-पट्टी के लेखा पर्ची एवं नकदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है - आरोपी 1- दीपक यादव पिता ननकू यादव उम्र 30 वर्ष निवासी रामभांठा 2- नानू टंडन पिता चैतराम टंडन उम्र 33 वर्ष निवासी रामभांठा 3- जागेश्वर सारथी पिता जमीर सारथी उम्र 22 वर्ष जोगीडीपा 4- मोहम्मद सकलेन पिता मोहम्मद अलीम उम्र 20 वर्ष बाजीरावपारा 5- अरुण कुमार गुप्ता पिता अयोध्या प्रसाद गुप्ता 35 वर्ष निवासी दरोगापारा 6- राजाराम सारथी पिता मिठाई लाल सारथी उम्र 23 वर्ष निवासी जोगीडीपा 7- मालिक राम चौहान पिता सुखराम चौहान उम्र 29 वर्ष निवासी देवारपारा 8-आकाश चौहान पिता बिल्लू चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी दरोगापारा 9- सोनू वर्मा पिता अनिल वर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी दरोगापारा एवं 10- जुबेर अली पिता जाकिर अली उम्र 31 वर्ष निवासी दरोपारा रायगढ़ को नगदी रकम एवं सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों से कुल 10,120 रूपये नगदी एवं करीब 17000 रूपये के सट्टा पट्टी का हिसाब की पर्ची मिली है। आरोपियों को टीआई कोतवाली द्वारा आगे सट्टा लिखने में संलिप्त रहने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। आरोपियों पर धारा 4 (क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है। अभियान में थाना प्रभारी कोतवाली टीआई मनीष नागर के साथ उपनिरीक्षक जीपी बंजारे, प्रधान आरक्षक श्यामदेव साहु, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा, विजय पटेल, नरेन्द्र भारद्वाज, संजीव पटेल, गुलशन भास्कर, राजेश सिदार की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480